न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) इटावा जिला कोटा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – अंजना सहरावत आर.ए.एस.

मिसल नं.	तारीख दायरा	तारीख फैसला
14 / 22	29.03.2022	25/1/23

1. गजानन्द पुत्र श्री धन्नालाल जाति कोली निवासी अयाना तह0 पीपल्दा जिला कोटा हाल मुकाम खडियां तह0 सांगोद जिला कोटा राज0

–वादीगण

वनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0
2. गुलाब पुत्री जगन्नाथ
3. मांगी पुत्री जगन्नाथ
4. लीला पुत्री जगन्नाथ
5. तीजू पत्नि जगन्नाथ जातियान कोली निवासीगण अयाना तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, आरटीएक्ट

निर्णय

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि मुताबिक जमाबन्दी सेटलमेन्ट पूर्व सम्वत 2025 से 28 की खसरा नं0 1029 रकबा एक बीघा पांच बिस्वा, खसरा नं0 1020 की रकबा 8 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा कृषि आराजी वादी के पिता धन्नालाल पुत्र नेनगा जाति कोली के खते दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2025 से 28 ग्राम अयाना तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 में दर्ज इंतकाल नम्बर 148 से वादी के पिता धन्नालाल के फौत हो जाने के बाद मृतक धन्नालाल के स्थान पर स्वयं वादी व वादी के भाई जगन्नाथ का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, तक से ही कृषि आराजी वादी गजानन्द व उसके भाई जगन्नाथ के 1/2–1/2 वरावर–बराबर हिस्से में दर्ज चली आ रही है। वादी सेटलमेंट साबिक खसरा नं0 1030 रकवा 8 बीघा तथा खसरा नं0 1029 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा नवीन खसरा नं0 1513 रकवा 1.43 है0 वनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं सिविल मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

यह कि वादी के भाई जगन्नाथ के फौत हो जाने के बाद उसके स्थान पर प्रतिवादी कम 2 से लगायत 4 का नाम जगन्नाथ के 1/2 हिस्से पर दर्ज किया गया। सेटेलमेंट विभाग द्वारा नवीन खसरा नं0 बनाते समय वादी के पिता धन्नालाल के स्थान पर जगन्नाथ गलत इन्द्राज कर दिया। जिसका सेटलमेंट विभाग को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। विधिक रूप से सेटलमेंट विभाग को राजस्व रिकॉर्ड में बिना विधिक अधिकारिता के परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। सेटलमेंट विभाग ने अपने कार्य क्षेत्र से परे जाकर वादी गजानन्द पुत्र धन्नालाल के स्थान पर त्रूटिपूर्ण तरीके से घोर लापरवाही करते हुए ववादी गजानन्द पुत्र जगन्नाथ इन्द्राज कर दिया गया जिसका सेटलमेंट विभाग को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था जबकि वादी को यह अधिकार प्राप्त हैं कि सेटलमेंट विभाग द्वारा साविक खसरा नं0 की वर्णित आराजी के नवीन खसरा नं0 बनाते समय वादी का नाम गजानन्द पुत्र जगन्नाथ गलत दर्ज किया गया जिसको दुरस्त करवाकर गजानन्द पुत्र धन्नालाल सही करवाये जाने का अधिकार प्राप्त है।

यह कि प्रतिवादी कम 2 से लगायत 5 के ख़िलाफ़ प्रस्तुत वाद पत्र में किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है। केवल मात्र संयुक्त खाते में नाम होने के कारण फोरमल पक्षकार बनाया गया है।

यह कि वादी गजानन्द द्वारा प्रतिवादी कम 1 तहसीलदार महोदय पीपल्दा से अपने पिता का नाम जगन्नाथ के स्थान पर धन्नालाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए कई मर्तबा निवेदन किया गया, लेकिन प्रतिवादी कम 1 तहसीलदार पीपल्दा द्वारा अपने क्षेत्राधिकार का कार्य नहीं बताकर स्पष्ट मना करने पर वाद कारण दिनांक 10.02.2022 से लगातार उत्पन्न हो रहा है।

यह कि प्रस्तुत बाद पत्र में तहसीलदार महोदय, पीपल्दा से खिलाफ अनुतोष चाहा गया है जिनको धारा 80 सीपीसी के तहत वाद पूर्व नोटिस दिया जाना आवश्यक है, लेकिन वादी के पिता का नाम धन्नालाल के स्थान पर जगन्नाथ राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने से वादी गजानन्द को किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं होने से मामला अर्जेंट प्रकृति का हो गया है। इसलिए वाद परमिशन हेतु धारा 80 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया गया है जो संलग्न वाद पत्र है।

ग्राम अयाना पटवार हलका अयाना तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 की कृषि आराजी खसरा नं0 1513 रकबा 1.43है0 कुल किता 1 रकबा 1.43 है0 कृषि आराजी में वादी गजानन्द

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/2 को दुरुस्त किया जाकर उसके स्थान पर वादी गजानन्द पुत्र धन्नालाल जाति कोली हिस्सा 1/2 दर्ज किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार पीपल्दा को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद का आदेश किया जावे।

मुताबिक जमाबन्दी सं0 2025–28 (सेटलमेंट पूर्व) ग्राम अयाना की आराजी ख0नं0 1029 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, ख0न0 1030 रकबा 8 बीघा कुल किता 2 करबा 9 बीघा 5 बिस्वा भूमि धन्नालाल बेटा नेनगा जाति कोली सा0 देह के नाम दर्ज है। इस जमाबन्दी मे अंकित नोट अनुसार इंतकाल सं0 148 से धन्नालाल के स्थान पर पुत्र जगन्नाथ व गजानन्द का नाम दर्ज हुआ है। सेटलमेंट के दौरान गजानन्द पुत्र धन्नालाल के बजाय गजानन्द पुत्र जगन्नाथ दर्ज कर दिया। वर्तमान में भी जमाबन्दी में भी हाल ख0न0 1513 रकबा 1.43है0 में गजानन्द पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/2 दर्ज है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। वकील वादी द्वारा अवगत करवाया की प्रतिवादी क्रम 2 ता 5 से कोई रिलीफ नहीं चाही गई है। सहखातेदार होने से पक्षकार बनाया गया है। अतः इनके जवाब की आवश्यकता नहीं है। प्रतिवादी 1 से जवाब प्राप्त किया गया। प्रतिवादी क्रम 1 तहसीलदार पीपल्दा द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत करवाया की जमाबंदी सम्वत् 2025–28 (सेटलमेंट पूर्व) ग्राम अयाना की आराज ख0नं0 1029 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, ख0नं0 1030 रकबा 8 बीघा कुल किता 2 रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा आराजी में धन्नालाल बेटा नेनगा जाति कोली सा0देह के नाम दर्ज है। इस जमाबन्दी में अंकित नोट अनुसार इंतकाल नं0 148 से धन्नालाल के स्थान पर पुत्र जगन्नाथ व गजानन्द का नाम दर्ज हुआ। सेटलमेंट के दौरान गजानन्द पुत्र धन्नालाल के बजाए गजानन्द पुत्र जगन्नाथ दर्ज कर दिया। वर्तमान में भी जमाबंदी में भी हाल ख0नं0 1513 रकबा 1.43 है0 में गजानन्द पुत्र जगन्नाथ हि0 1/2 दर्ज है। उक्तानुसार संशोधित किये जाने की अनुशंषा की जाती है।

वकील वादी द्वारा प्रकरण में साक्ष्यवादी में गजानन्द का शपथ पत्र पेश किया गया। पत्रावली में वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद स्वीकार कर विवादित आराजी में वादी के पिता का नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश पारित फरमावे।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वाद में आधार कार्ड, मतदात पहचान पत्र, ग्राम पंचायत अयाना का प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की है जिसमें

उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

वादी के पिता का नाम धन्नालाल अंकित है। तहसीलदार पीपल्दा द्वारा प्रस्तुत जवाब में वादी के पिता का नाम वाद ग्रस्त आराजी में संशाधित किये जाने की अनुशंषा की है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर माल ग्राम अयाना पटवार हलका अयाना तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 की कृषि आराजी खसरा नं0 1513 रकबा 1.43है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.43है0 कृषि आराजी में वादी गजानन्द पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/2 को दुरुस्त किया जाकर उसके स्थान पर वादी गजानन्द पुत्र धन्नालाल जाति कोली हिस्सा 1/2 दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। विवादित आराजीयात् यदि रहनभार है तो यथावत रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर डिक्री मुर्तिब की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
इटावा जिला कोटा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

अंतिम डिक्री मुकदमा इथराई
(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

1. गजानन्द पुत्र श्री धन्नालाल जाति कोली निवासी अयाना तह0 पीपल्दा जिला कोटा हाल मुकाम खड़ियां तह0 सांगोद जिला कोटा राज0

–वादीगण

वनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0
2. गुलाब पुत्री जगन्नाथ
3. मांगी पुत्री जगन्नाथ
4. लीला पुत्री जगन्नाथ
5. तीजू पत्नि जगन्नाथ जातियान कोली निवासीगण अयाना तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0

–प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, आरटीएक्ट</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री श्याम बैरवा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम अयाना पटवार हलका अयाना तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 की कृषि आराजी खसरा नं0 1513 रकबा 1.43है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.43है0 कृषि आराजी में वादी गजानन्द पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/2 को दुरुस्त किया जाकर उसके स्थान पर वादी गजानन्द पुत्र धन्नालाल जाति कोली हिस्सा 1/2 दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। विवादित आराजीयात् यदि रहनभार है तो यथावत रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर डिक्री मुर्तिब की जावे।

डिक्री मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक 25/1/2023 को जारी किया गया।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुददई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक [illegible]
इटावा जिला कोटा